भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*267**

(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)

**घोटालों के कारण बैंकों में जनता के धन का असुरक्षित होना**

267. श्री किरनमय नन्दाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारत के सबसे बड़े बैंक घोटाले की जानकारी है, जो पंजाब नेशनल

बैंक में हुआ जिसमें 17,600 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बैंकों में जमा जनता के धन के अत्यधिक असुरक्षित होने के बारे में भी जानकारी है;

(ग) क्या सरकार ने जनता के धन की ऐसे घोटालों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसी तंत्र की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

**(क) से (घ):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘‘घोटालों के कारण बैंकों में जनता के धन का असुरक्षित होना” के संबंध में श्री किरनमय नन्दा द्वारा पूछे गए 20 मार्च, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*267 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (घ):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनसार पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) नेअपनी धोखाधड़ी मॉनीटरिंग रिपोर्टिंग प्रणाली के जरिए आरबीआई को 13,923.14 करोड़ रुपए की राशि की धोखाधड़ी की सूचना दी थी।

 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में जमाकर्ताओं की धनराशि सुरक्षित है। भारतीय बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और सुरक्षा तथा सुदृढ़ता के साथ-साथ प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये विवेकपूर्ण विनियमन के अधीन हैं। इसके अलावा, पीएसबी के संबंध में सरकार ने वर्तमान तथा अगले वित्तीय वर्षों के दौरान 2,11,000 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्पूंजीकरण आरंभ कर दिया है। जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं तथा नीतिगत उपाय किए जाते हैं, जिनमें आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत उपाय, बासेल-III अंतर्राष्ट्रीय संरचना से बेहतर पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड, विवेकपूर्ण मानदण्ड तथा निदेशों को जारी करना और योजना के अनुसार मौजूदा निक्षेप बीमा शामिल हैं।

 धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आरबीआई ने बैंकों को धोखाधड़ी के संबंध में मास्टर परिपत्र जारी किए हैं, इसमें एक निश्चित सीमा से अधिक की राशि की धोखाधड़ी की सूचना पुलिस को देना, विशेष समिति द्वारा मामालों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई, बैंक बोर्ड की लेखापरीक्षा की समिति के समक्ष सूचना को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना तथा बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की वार्षिक समीक्षा की अपेक्षा की गई है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रोकथाम संबंधी उपाय, धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, प्रणालीगत खामी, सुधारात्मक उपाय, जांच तथा वसूली की प्रगति की निगरानी तथा कर्मचारियों के उत्तरदायित्व को शामिल किया गया है।

\*\*\*\*\*